23 अक्तूबर, 2020

<u>प्रेस रिलीज</u>

शुक्रवार, 23 अक्तूबर, 2020
समय – दोपहर 3 बजे

आयोजक
ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपुल (AIUFWP)

सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP)

डेल्ही सॉलेडरिटी ग्रुप (DSJ)

भारत की मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (CPM) की पॉलित ब्यूरो सदस्य और आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मोर्चा की उपाध्यक्ष, सुश्री वृंदा कारत फैक्ट-फाइडिंग रिपोर्ट जारी करेंगी.

फैक्ट फाइडिंग रिपोर्ट में बिहार के कैमूर में आदिवासियों पर फायरिंग की न्यायिक जांच की मांग गई है. साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्यकर्ताओं पर थोपे गए फर्जी केस वापस लेने को कहा गया है.

11 सितंबर को बिहार के कैमूर जिले के अधौरा ब्लॉक में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बेरहमी से फायरिंग की थी. नई दिल्ली से चार सदस्यों की टीम ने वहां पहुंच कर इस घटना से जुड़े तथ्यों की पूरी पड़ताल की. शुक्रवार, 23 अक्तूबर 2020 को इस फैक्ट फाइडिंग टीम की रिपोर्ट दोपहर तीन बजे एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी की जाएगी.

कैमूर में 11 सितंबर को हुई इस घटना में पुलिस ने न सिर्फ सात कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की और लाठियां चलाईं बल्कि झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया.

16 अक्तूबर को गिरफ्तार सातों कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया गया. जब कैमूर मुक्ति मोर्चा (KMM) ने 'चुनावों के बहिष्कार' का ऐलान किया तो दो दिन बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत तमाम बड़े राजनीतिक नेता सीधे कैमूर के सुदूर इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिये पहुंचे और संघर्ष कर रहे लोगों से बहिष्कार वापस लेने की अपील

की. कैमूर मुक्ति मोर्चा का गठन 1990 के दशकों में इस इलाके के लोगों के जमीन के अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक ढंग से संघर्ष करने के लिए किया गया था. कैमूर मुक्ति मोर्चा ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के लिए क्षेत्र निर्धारित से जुड़े सभी फैसलों को रद्द करने की मांग की है. संगठन का कहना है वन्यजीव अभयारण्य और रिजर्व के जरिये आदिवासियों को उनकी जमीन का हक देने का सवाल दरकिनार किया जा रहा है.

कैमूर में आदिवासियों की जमीन के सवाल पर प्रदर्शनकारियों पर 11 सितंबर को पुलिस ने फायरिंग की थी और बड़ी बेरहमी से लाठियां चलाई थीं. इस घटना की जांच के लिए दिल्ली से एक चार सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम कैमूर पहुंची थी. अमीर शेरवानी खान (ऑल इंडिया यूनियन ऑफर फॉरेस्ट वर्किंग ग्रुप), मातादयाल (ऑल इंडिया यूनियन ऑफर फॉरेस्ट वर्किंग ग्रुप) , राजा रब्बी हुसैन (डेल्ही सॉलेडरिटी ग्रुप) और सुप्रीम कोर्ट के वकील अमन खान की चार सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 23 से 27 सितंबर, 2020 के बीच कैमूर जिले के अधौरा ब्लॉक का दौरा किया था.

फैक्ट फाइडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में सभी सातों कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने और झूठे-मनगढ़ंत आरोप वापस लेने की सिफारिश की है. इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा गठित एक न्यायिक आयोग की ओर से इस घटना की जांच कराने की सिफारिश की गई है. सिफारिश में कहा गया है कि आयोग 11 सितंबर, 2020 को कैमूर जिले के अधौरा ब्लॉक में किए गए आदिवासियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई की जांच करे. बेवजह फायरिंग और लाठीचार्ज के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो. साथ ही जिन लोगों को झूठे केस में फंसाया गया है और जिन पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए. टीम ने वनाधिकार कानून, 2006, को तुरंत सही ढंग से लागू करने की सिफारिश की है.

टीम ने 1927 के औपिनिवेशिक वन कानून को खत्म करने की मांग की है और कैमूर क्षेत्र को पंचायत (विस्तारित अधिसूचित क्षेत्र) कानून, 1996, के तहत अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है.

10-12 सितंबर , 2020

10 सितंबर, 2020 अधौरा ब्लॉक के 108 गांवों के महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों समेत हजारों आदिवासियो ने अधौरा के वन विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया. यह धरना बिरसा मुंडा स्मारक स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ है. अगस्त, 2020 से ही इस धरने के बारे मे दस हजार पर्चे बांटे गए थे. सरकार और वन विभाग के अफसरों को

धरने के बारे में पहले से ही सूचना दे दी गई थी. स्थानीय पत्रकारों ने फैक्ट फाइडिंग से बातचीत में इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि आदिवासियों का धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण था.

कैमूर मुक्ति मोर्चा की मांगें

. वनाधिकार कानून, 2006, लागू किया जाए
. संविधान की पांचवीं अनुसूचि के मुताबिक कैमूर को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए. पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों का विस्तार) कानून, 1996, को प्रभावी तौर पर लागू किया जाए
. कैमूर घाटी का प्रशासनिक पुनर्गठन हो
. 1927 का औपनिवेशिक भारतीय वन कानून रद्द हो
. छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट लागू हो
. प्रस्तावित कैमूर वन और वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व रद्द हो.

इन मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उनसे कोई बातचीत के लिए आगे आया. शाम छह बजे तक अधिकारियों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया. अपनी पैतृक जमीन, जंगल और जल स्त्रोत छिन जाने के डर से इकट्ठा हुए आदिवासियों ने वन विभाग के गेट पर ताला लगा दिया. यह उनके विरोध का प्रतीकात्मक एक रूप था, ताकि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सके.

11 सितंबर, 2020 को भी आदिवासी धरने पर बैठे रहे. वन विभाग के लोग आए, उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर चले गए. दोपहर बाद धरना दे रहे आदिवासियों ने फैसला किया कि वे अंदर जाकर अधिकारियों से बात करेंगे. लेकिन जब आदिवासियों के प्रतिनिधियों का दल अंदर गया तो वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनसे गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की. इसके बाद अचानक वहां और ज्यादा पुलिस वाले इकट्ठा हो गए. उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे. इसके बाद अचानक पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों ने आदिवासियों पर बड़ी बेरहमी से हमला कर दिया. पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी और आदिवासियों पर लाठियों से हमला कर दिया.

पुलिस फायरिंग में चापहाना गांव के एक आदिवासी, प्रभु के कान पर गोली लगी जो उसके कान के टुकड़े करते हुए पार हो गई. पुलिस ने आदिवासी महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बच्चों को घेर कर लाठियों से पीटा. कई लोगों की गंभीर चोट आई, जिसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई.

इसके बाद भी पुलिस की क्रूरता जारी रही. 12 सितंबर को पुलिस ने कैमूर मुक्ति मोर्चा का अधौरा स्थित दफ्तर तोड़ दिया. पुलिस ने कैमूर मुक्ति मोर्चा के दर्जनों कार्यकर्ताओं पर

झूठे केस दर्ज कर के गिरफ्तार कर लिया. कार्यकर्ताओं को पहले हिरासत में रखा गया और फिर बाद में कैमूर जिले के ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. इनमें गोइयान के सिपाही सिंह, (उम्र- 65 साल), बारडिहिया के धर्मेंद्र सिंह (उम्र-25 साल), झाड़पा के पप्पू पासवान (उम्र -23 साल), बराप के लल्ल सिंह खरवा (उम्र- 45 साल), बरडीहा का कैलाश सिंह (उम्र 65 साल), गोइयान के रामशक्ल सिंह खरवार (उम्र 52 साल) और सरायनार हरिचरण सिंह (उम्र-65 साल) शामिल थे. इनमें से सभी न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए. और सभी सातों कार्यकर्ताओं पर आईपीसी की धारा144/148/147/323/307/353/332/333/337/338/342 और 427 लगाई गई थी. इन पर आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए थे.
(नोट : 16 अक्तूबर, 2020 को सभी सातों कार्यर्ताओं को जमानत मिल गई थी)

बयान

“सरकारी हमारी जमीन को बड़ी कंपनियों को बेचना चाहती है. लेकिन मैं सरकार को बताना चाहती हूं कि जब तक जिंदा हूं अपने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ती रहूंगी”.

रामराजी देवी (बरडीहा गांव की आदिवासी महिला).

“यह आदिवासी बहुल इलाका है. लेकिन सरकार ने इसे दो जिलों के आठ ब्लॉक में बांट दिया है ताकि यह पांचवीं अनुसूची के दायरे से बाहर हो जाए. हम पहाड़ियों के प्रशासनिक पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि दो ब्लॉक सिर्फ आदिवासियों के लिए गठित किए जाएं ताकि हमारे इलाके पांचवीं अनुसूची में आ जाएं.”
राजा लाल सिंह खरवार, कार्यकारी सचिव, कैमूर मुक्ति मोर्चा.

1. कैमूर मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बालकेश्वर सिंह खरवार का दावा है कि अधौरा ब्लॉक के गुइया गांव के लोगों को लॉकडाउन के दौरान वन विभाग और पुलिस वालों ने जबरदस्ती विस्थापित कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरायनार में वन विभाग ने 50 घर गिरा दिए. उन्होंने कहा कि “सरकारी अधिकारी गुलू गांव के लोगों पर दबाव डाल रहे हैं. वे पेड़ लगाने के नाम पर ग्रामीणों की खेती की जमीन पर गड्ढे खोद दे रहे हैं..”

2. 24 सितंबर को फैक्ट फाइडिंग टीम ने कैमूर जिले में अधौरा ब्लॉक के बिदुरी गांव का दौरा किया. टीम ने पुलिस एफआईआर (एफआईआर नंबर 71/20) में दर्ज एक नाम- सुभाष सिंह खरवार, के परिवार से मुलाकात की. टीम ने गंगाजलि देवी (उम्र – 59 साल) और बहन फूलन कुमारी (17) और छोटे भाई विनय सिंह (18

साल) से बातचीत की. विनय सिंह ने पुलिस अधिकारियों पर बदतमीजी के आरोप लगाए. विनय के मुताबिक पुलिस उनके घर में बगैर किसी डॉक्यूमेंट या सर्च वारंट के घुस गई.

3. फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अधौरा पंचायत की बरडीहा गांव का दौरा किया और धर्मेंद्र सिंह के पिता हीरा सिंह खरवार से मुलाकात की. 25 साल के धर्मेंद्र सिंह खरवार आदिवासी युवा जिन्हें इसी तरह के आरोप में सुभाष और उसके छोटे भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था.

जिन महिलाओं पर पुलिस ने लाठियां चलाई थीं, उनमें से एक रामराजी खरवार ने अपने चोट के ज़ख्म दिखाए. उन्होंने कहा कि सरकार, वन विभाग और पुलिस अधिकारी आदिवासी लोगों को आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अपने पैतृक घर सरकार को सौंप दें. महिलाओं ने बताया कि जंगल कैसे उनकी जिंदगी और उनके समुदाय के लोगों का अभिन्न हिस्सा है. दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं. वह काफी मुखर हैं और पूरे दम-खम के साथ जंगल की जमीन पर दावा ठोकती हैं.

4. बरडीहा गांव के रहने वाले स्थानीय पत्रकार कवींद्र सिंह से भी फैक्ट फाइंडिंग से मुलाकात की. वह स्थानीय हिंदी अखबार 'दैनिक जागरण' में काम करते हैं. वह दो दिनों से चले आ रहे धरने को कवर करने की ऑफिशियल ड्यूटी पर थे. उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग शांतिपूर्वक अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए धरने पर बैठे थे. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि, केएमएम के कार्यकर्ताओं ने धरने की जगह और धरने के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी प्रशासन को दी थी.

5. फैक्ट फाइंडिंग डुमरावां पंचायत के गोपियान गांव तक पहुंची. यह गांव खरवार आदिवासियों का है. गांव वालों ने बातचीत में बताया कि गोइया गांव के लगभग 100 लोग इसका हिस्सा थे. टीम ने इस गांव की दो महिलाओं, फूलमतिया और समुद्री, से मुलाकात की. ये दोनों पुलिस की क्रूरता की निशानी हैं. फूलमतिया देवी को छाती पर चोट आई है. यहाँ के सिपाही सिंह (65) और रामशक्ल सिंह (65) भी गिरफ्तार किए गए थे.

6. फैक्ट फाइंडिंग टीम, कैमूर मुक्ति मोर्चा, के कार्यकारी सचिव, राजालाल सिंह खरवार से भी मुलाकात की. उन्होंने विस्तार से बताया कि सत्तारुढ़ दल किस तरह से लगातार कैमूर के आदिवासियों के समृद्ध इतिहास का भगवाकरण कर रही है, ताकि आदिवासी समुदाय के लोग बंट जाएं और उनका सामूहिक एजेंडा खतरे में

पड़ जाए. उन्होंने संथाल आदिवासियों के संघर्ष और कैमूर पहाड़ियों के चालीस साल के समृद्ध इतिहास की ओर इशारा किया. उनके बयान के मुताबिक कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के लिए जमीन निर्धारित कर आदिवासियों को उनके पैतृक गांव से हटाने की साजिश हो रही है. यहां जल्दी ही वाल्मिकी टाइगर रिजर्व (VTR) का ऐलान किया जाना है.

श्री राजालाल सिंह खरवार का कहना है
"वर्षों तक इन घने जंगलों में वक्त बिताने के बावजूद हममें से किसी ने कभी भी कोई बाघ नहीं देखा. अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव और कुछ नहीं बस हमारी जमीन कब्जाने और हमें यहां से निकालने की साजिश है."

पृष्ठभूमि

मार्च, 2020 से बिहार में कैमूर जिले के भभुआ सब-डिवीजन के अधौरा ब्लॉक में तैनात वन विभाग अधिकारी, आदिवासियों की खेती की जमीन को हड़पने की कोशिश में लगे हैं. इसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. वन विभाग आदिवासियों को उनके गांवों से हटाना चाहता है. जिन गांवों से आदिवासियों को हटाने की कोशिश हो रही है उनमें गुलु, गोइया, दीघर, बाहाबार, पीपरा, साधो, बहेड़ा, डुमरावां और सरायनार शामिल हैं. सरायनार में पुलिस ने कथित तौर पर अगरिया आदिवासियों के 50 घर तोड़ डाले ताकि ग्रामीणों को वहां से हटाया जा सके. गुलू गांव में वन विभाग और बिहार सरकार के कर्मचारी पेड़ लगाने के नाम पर आदिवासियों की खेती की जमीन में गड्ढे खो दे रहे हैं ताकि वे यहां से चले जाएंगे.

पुलिस और वन अधिकारियों के इन हथकंडों से तंग आकर आखिरकार आदिवासियों ने संगठित होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना शुरू किया. पुलिस ने इस प्रदर्शन को लाठी और गोलियों से दबाना चाहा.
हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करते हैं. इसमें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की जाएगी.

अशोक चौधरी, रोमा मलिक, तीस्ता सेतलवाड़
अनिल वर्गीज, सुभाष खरवार, अमीर शेरवानी, राजा रब्बी हुसैन
बालकेश्वर खरवार